

रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार  
दिनांक 30/9/24 को पेश हो।

2

30<sup>9</sup>/<sub>24</sub> पगावली पेज हुआ। प्राथीगिण व  
वकील प्राथी अनुपस्थित। बार-बार  
आवाज लगावानी गयी। आवाज लगावने  
के उपरान्त भी प्राथीगिण की ओर ले कोई  
उपस्थित नहीं आया। अतः प्राथीगिण को  
प्राथीक पत्र आदि दाखिल आदि पत्रों  
में खालीज किया जाता है। पगावली के  
शुद्ध होकर नाममात्र से काग होकर दफ्तर  
दाखिल है।

८

(बृजेश कुमार)  
सुपखण्ड अधिकारी,  
नीमकाथाना (सीकर)